

डेडीकेटेड फ्रेंट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि. भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-176

New Delhi: 06.04.2021

Sh. Munna Kumar UP

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: Your RTI application dated 22.03.2021 received through DOPT.

In reference to above, point-wise information as obtained from the concerned record holding office, is attached. However, for information on point no. 2, you are advised to deposit Rs. 632/- (316 page X Rs. 2/-) as stationery charges through DOPT portal, at the earliest.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber GGM/Administration DFCCIL, 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building, Pragati Maidan, New Delhi-110001.

DA: 01 sheets

(S.K. Roy) Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skroy@dfcc.co.in 011-23454707



डडाकटेड फ्रेंट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No No.: ALD (W)EN/RTI/49 -(Vol-IV)

Date: 24.03.2021

एस. के. राय डी.जी.एम / एडमिन (पी.आई.ओ.) डी.एफ.सी.सी.आई.एल. नई दिल्ली।

विषयः जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री मुन्ना कुमार द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः प्रधान कार्यालय पत्रांक 2021/HQ/ADMIN/RTI-176 Dt. 23.03.2021.

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री मुन्ना कुमार द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना का विवरण बिन्दुवार निम्नवत् है:—

- बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रेशनल कन्स्ट्रक्शन्स कम्पनी द्वारा किसी भी घटना के सम्बन्ध में डी.एफ.सी.सी.आई.एल. को कोई सूचना नहीं दी गयी थी।
- 2. बिन्दु संख्या 02 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त अनुबंध लगभग 316 पेज का है जिसे प्राप्त करने हेतु 02 रू0 प्रति पेज की दर से 632/- रू0 जमा करायें।
- 3. बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्माण स्थल पर वर्कर या लेबर की सुरक्षा के नियम अनुबंध में उल्लेखित है।
- 4. बिन्दु संख्या 04 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यदि प्राइवेट कम्पनी द्वारा ब्रिज का कार्य कराया जा रहा है एवं कार्य के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में उल्लेखित एक्सीडेंट क्लॉज के अनुरूप निस्तारित किया जायेगा।
- 5. बिन्दु संख्या 05 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अगर निर्माण स्थल पर कार्य करते समय किसी वर्कर या लेबर की मृत्यु दुर्घटना में होती है उस दशा में डी.एफ.सी.सी.आई. एल. की भूमिका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में उल्लेखित नियमों के अनुरूप होगी।

(अजीत कुमार सिंह) उप परि० प्र० / ए.पी.आई.ओ. एफ.सी.सी.आई.एल. प्रयागराज (पश्चिम)

	ACTION H	ISTORY OF RT	REQUEST N	o.DFCCL/R/E/21/00111	
Applicant Name Text of Application		Munna Kumar Application has been attached			
SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks	
1	RTI REQUEST RECEIVED	22/03/2021	Nodal Officer		
2	REQUEST FORWARDED TO CONCERNED CPIO	23/03/2021	Nodal Officer	CGM/Allahabad W	
3	ADDITIONAL PAYMENT REQUIRED FOR INFORMATION	06/04/2021	Nodal Officer	Information sought vide point no. 1,3,4 and 5 has been sent to you on 06,04,2021 through your registered e-mail ID. However, to provide information sought vide point no. 2. You are requested to deposit Rs. 632/- (316 page X Rs. 2/-) as stationery charges, so that the same can be provided to you. In case DFCCIL does not receive the payment or any such proof payment by you within 60 days period from the date of receipt of this letter, the case will be closed presuming that you are no more interested for getting the information. If it is not possible to pay within the 60 days time period, at least inform the undersigned that the payment will be done or otherwise.	